

मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक 29.07.2016 को अपराह्न 12:30 बजे प्रधानमंत्री आवास योजना—सबके लिए आवास (शहरी) योजना के अन्तर्गत राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (एस०एल० एस०एम०सी०) की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची संलग्न है।

निदेशक, सूडा द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना में अब तक की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी गयी, जिसमें अवगत कराया गया है कि उक्त योजना की प्रथम बैठक मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक 20.11.2015 को की गयी थी, जिसमें सभी 635 निकायों को उक्त योजनान्तर्गत सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया।

2. राज्य सरकार एवं भारत सरकार के बीच द्विपक्षीय अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया गया, जिसमें अनिवार्य सुधारों के साथ शर्तों को निर्धारित समय—सीमा में पूर्ण करने का निर्णय लिया गया।

3. मंत्री परिषद से अनुमोदनोपरान्त उक्त योजना का शासनादेश दिनांक 21.03.2016 को जारी किया गया, जिसके अन्तर्गत एस०एल०एस०एम०सी० एवं एस०एल०ए०सी० का गठन किया गया तथा सूडा को एस०एल०एन०ए० नामित किया गया।

4. दिनांक 25.04.2016 को मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में प्रथम एस०एल०एस०एम०सी० की बैठक की गयी, जिसमें आसरा योजनान्तर्गत 08 योजनाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना के भागीदारी में किफायती आवास घटक से डवटेल करने हेतु सहमति प्रदान की गयी है। तदुपरान्त उक्त प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया, जिसे भारत सरकार द्वारा सी०एस०एम०सी० की बैठक में आवासों का क्षेत्रफल एनबीसी के मानकों के अनुरूप न होने के कारण स्वीकार नहीं किया गया। उक्त के कम में एनबीसी मानकों के अनुरूप संशोधित प्रस्ताव मंत्री परिषद के अनुमोदन हेतु शासन को प्रेषित किया जाना है। वर्तमान में प्रस्ताव मुख्य अभियन्ता (भवन), उ०प्र० को तकनीकी परीक्षण हेतु प्रेषित गया है।

5. सभी 635 स्थानीय निकायों में एचएफएपीओए हेतु आर०एफ०पी० दिनांक 14.06.2016 को प्रकाशित की गयी, जिसके क्रम में दिनांक 25.07.2016 को प्री-बिड की बैठक की गयी तथा तकनीकी बिड दिनांक 04.08.2016 को अपराह्न 3:30 बजे खोला जाना है।

6. अन्य आवासीय योजनाओं में आसरा योजना की 187 परियोजनाओं में 34162 स्वीकृत आवासों के सापेक्ष 13970 आवास पूर्ण एवं 7457 आवास प्रगति पर, बी०एस०यू०पी० योजना की 67 परियोजनाओं में 45599 स्वीकृत आवासों के सापेक्ष 38968 आवास पूर्ण एवं 6631 आवास प्रगति पर, आई०एच०एस०डी०पी० योजना की 159 परियोजनाओं में 37818 स्वीकृत आवासों के सापेक्ष 26657 आवास पूर्ण एवं 11161 आवास प्रगति पर तथा राजीव आवास योजना की 18 परियोजनाओं में 8409 स्वीकृत आवासों के सापेक्ष 2916 आवास पूर्ण एवं 998 आवास प्रगति पर हैं।

विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त एजेण्डा बिन्दुवार निम्नवत निर्णय लिये गये:-

एजेण्डा बिन्दु सं० 1:-

State Level Technical Cell (SLTC) and City Level Technical Cell (CLTC) के गठन एवं क्रियान्वयन के प्रस्ताव के अनुमोदन हेतु विचार विमर्श।

कैपिसिटी बिल्डिंग के अन्तर्गत योजना में एस०एल०टी०सी० के गठन का प्राविधान किया गया है, जिसके अन्तर्गत 10 विशेषज्ञ कमशः अरबन प्लानर/टाऊन प्लानिंग स्पेशलिस्ट, हाऊसिंग फाइननेंस और पालिसी स्पेशलिस्ट, म्यूनिसिपल/सिविल



इन्जीनियर, पीपीपी स्पेशलिस्ट, अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर स्पेशलिस्ट, सोशल डेवलपमेन्ट स्पेशलिस्ट, कैपिसिटी बिल्डिंग/इंस्टीट्यूशनल स्ट्रैथनिंग स्पेशलिस्ट, एम0आई0एस0 स्पेशलिस्ट, आईईसी/नोलिज मैनेजमेन्ट स्पेशलिस्ट एवं प्रोक्यूरमेन्ट स्पेशलिस्ट के 1-1 पद प्रस्तावित किये गये हैं, जिनकी शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव भारत सरकार द्वारा जारी योजना की गाइड लाइन के अनुसार होगी। उक्त 10 विशेषज्ञों के दो वर्ष का मानदेय, प्रशासनिक व्यय (मानदेय का 25%), सर्विस टैक्स (मानदेय का 14%) कुल रू0 283.56 लाख, जिसमें केन्द्रीय सहायता (75%) रू0 191.25 लाख तथा राज्य सहायता (25%) रू0 76.37 लाख प्रस्तावित किया गया है। उपरोक्तानुसार एस0एल0टी0सी0 के गठन पर समिति द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

इसके अतिरिक्त सी0एल0टी0सी0 का गठन प्रदेश के 75 जिला मुख्यालय का भी प्राविधान किया गया है, जिसके अन्तर्गत 250 विशेषज्ञों द्वारा कार्य किया जायेगा, जिसका गठन जनपद मुख्यालय की नगरीय जनसंख्या के आधार पर होगा। 15 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जनपद मुख्यालयों में 05 विशेषज्ञ क्रमशः म्यूनिसिपल/सिविल इन्जीनियर, सोशल डेवलपमेन्ट स्पेशलिस्ट, एम0आई0एस0 स्पेशलिस्ट, म्यूनिसिपल फाइनेन्स स्पेशलिस्ट तथा अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर स्पेशलिस्ट होंगे। 05-15 लाख की जनसंख्या वाले जनपद मुख्यालयों में 04 विशेषज्ञ क्रमशः म्यूनिसिपल/सिविल इन्जीनियर, सोशल डेवलपमेन्ट स्पेशलिस्ट, एम0आई0एस0 स्पेशलिस्ट तथा म्यूनिसिपल फाइनेन्स स्पेशलिस्ट होंगे। 5 लाख से कम जनसंख्या वाले जनपद मुख्यालयों में 03 विशेषज्ञ क्रमशः म्यूनिसिपल/सिविल इन्जीनियर, सोशल डेवलपमेन्ट स्पेशलिस्ट तथा एम0आई0एस0 स्पेशलिस्ट होंगे, जिनकी शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव भारत सरकार द्वारा जारी योजना की गाइड लाइन के अनुसार होगी।

उक्त 250 विशेषज्ञों के दो वर्ष का मानदेय, प्रशासनिक व्यय (मानदेय का 25%), सर्विस टैक्स (मानदेय का 14%) कुल रू0 4260.07 लाख, जिसमें केन्द्रीय सहायता (75%) रू0 2873.25 लाख तथा राज्य सहायता (25%) रू0 1386.82 लाख प्रस्तावित किया गया है। उपरोक्तानुसार सी0एल0टी0सी0 के गठन पर समिति द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

अवगत कराया गया है कि एस0एल0टी0सी0 और सी0एल0टी0सी0 को क्रियाशील बनाने के लिए प्रशासनिक व्यय एवं सर्विस टैक्स की मांग भारत सरकार से की गयी है, परन्तु गाइड लाइन में उक्त के संबंध में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। निर्णय लिया गया कि भारत सरकार से सर्विस टैक्स व प्रशासनिक व्यय की मांग कर ली जाय। यदि भारत सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है, तो इस वर्ष के बजट एलोकेशन में प्रशासनिक व्यय (विशेषज्ञ के पारिश्रमिक का 25%) व सर्विस टैक्स (विशेषज्ञ के पारिश्रमिक का 14%) का अतिरिक्त प्राविधान अनुमन्य करने हेतु सहमति दी गयी।

एजेण्डा बिन्दु सं0 2:-

Capacity Bulding Plan के अन्तर्गत ट्रेनिंग/वर्कशॉप (Stale Level/Thematic), **Exposure Visit/Study Visit (in country), Case Studies/Research Studies** कार्य कराने के प्रस्ताव के अनुमोदन हेतु विचार विमर्श।

कैपिसिटी बिल्डिंग के अन्तर्गत 08 एक्सपोजर/स्टडी विजिट (रू0 3.00 लाख प्रति की दर से), प्रशिक्षण/वर्कशॉप के अन्तर्गत 04 राज्य स्तरीय (रू0 2.00 लाख प्रति की दर से), 38 शहर स्तर पर (रू0 1.00 लाख प्रति की दर से), 04 विषयगत कार्यशाला (रू0 3.00 लाख प्रति की दर से), 10 केस स्टडी/रिसर्च स्टडी के लिए (रू0 5.00 लाख प्रति की दर से) कुल रू0 132.00 लाख प्रस्तावित किये गये हैं, जो पूर्णतया केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाना है। समिति द्वारा उक्त की सहमति दी गयी।



एजेण्डा बिन्दु सं0 3:-

योजना के प्रचार-प्रसार करने, HFAPoA तैयार करने एवं कैम्प आदि लगाने के लिए आई0ई0सी0 मद में कार्य कराने के प्रस्ताव के अनुमोदन हेतु विचार विमर्श।

प्रदेश की 635 स्थानीय निकायों में प्रधानमंत्री आवास योजना प्लान ऑफ एक्शन के लिए डिमाण्ड सर्वे किया जाना है, जिसके लिए व्यापक प्रचार-प्रसार की आवश्यकता है। अतः योजना के प्रचार-प्रसार हेतु आई0ई0सी0 मद में ₹0 2500.00 लाख का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया, जिसे भारत सरकार द्वारा अस्वीकार किया गया। निर्णय लिया गया कि भारत सरकार से योजना के प्रचार-प्रसार हेतु पुनः धनराशि की मांग कर ली जाये। यदि भारत सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है, तो इस वर्ष के बजट एलोकेशन में आई0ई0सी0 मद में अतिरिक्त प्राविधान अनुमन्य करने हेतु सहमति दी गयी, जिस हेतु अलग से सूझा द्वारा औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।

अन्य बिन्दु:-

1. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय को एस0एल0एस0एम0सी0 का सदस्य नामित किये जाने हेतु समिति द्वारा सहमति प्रदान की गयी।
2. प्रधानमंत्री आवास योजना के भागीदारी में किफायती आवास (AHP) घटक के अन्तर्गत परियोजनाओं के लिए निम्नलिखित न्यूनतम 250 आवास व 35 प्रतिशत ई0डब्ल्यू0एस0 आवास निर्माण व अन्य शर्तों को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा निर्गत एफोडेबुल हाऊसिंग नीति में समाहित किये जाने एवं प्रति ई0डब्ल्यू0एस0 आवास की सीलिंग कॉस्ट निर्धारित कर शासनादेश जारी करने हेतु सहमति प्रदान की गयी।
3. प्रधानमंत्री आवास योजना के तीन घटकों (ऋण आधारित ब्याज सब्सिडी योजना को छोड़कर) के लिए महायोजना में दी जाने वाली विभिन्न छूटों एवं भारत सरकार द्वारा अधिरोपित छः अनिवार्य शर्तों को समय सारिणी के क्रम में पूर्ण किये जाने हेतु आवास विभाग को निर्देशित किया गया।
4. लाभार्थी आधारित निर्माण (बी0एल0सी0)/सी0एल0एस0एस0 के अन्तर्गत आच्छादित आवास निर्माण हेतु मानचित्र को मानकीकृत करते हुए मानचित्र स्वीकृति से छूट के सम्बन्ध में आवास विभाग एक माह में विचार कर निर्णय लें।
5. आसरा योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना से डवटेल करने हेतु आसरा के आवासों का क्षेत्रफल एनबीसी मानकों के अनुरूप बढ़ाने के संशोधित प्रस्ताव को मंत्री परिषद से अनुमोदन कराने की सहमति दी गयी।

उपरोक्तानुसार योजना के कियान्वयन हेतु भारत सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित करते हुए सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्त में सधन्यवाद बैठक सम्पन्न हुई।


(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव


नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

उत्तर प्रदेश शासन
नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग।
संख्या:-1706/69-1-2016-14(235)/2015
लखनऊ : दिनांक : ०८ अगस्त, 2016

कार्यालय-आदेश

उपरोक्त की प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उत्तर प्रदेश, शासन
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. सचिव, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9. सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
10. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, लखनऊ।
11. निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।
12. मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उत्तर प्रदेश।
13. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति।

आज्ञा से,

(एच०पी० सिंह)
विशेष सचिव।